कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य./छा.प्रो.प्र/बा.प्रो.यो./सी.एस.एस./एफ.डी.आर/2016–17/ दिनांक 05/8/16

समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)

अतिआवश्यक
ई–मेल

विषय :– बालिका प्रोत्साहन (NSIGSE) के 2016–17 के प्रस्तावों की तैयारी के सम्बन्ध में

प्रसंगः– मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No.8–5/2016-SS दिनांक 01.08.2016 राज्य सरकार का पत्रांक प. 19(3)शिक्षा–6/2008/2008, जयपुर दिनांक 20.07.16 एवं इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत बालिकाओं के लिये प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education) के तहत सत्र 2016–17 के प्रस्तावों के लिए इलैक्ट्रिॉनक्सि व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति हेतु तैयार National scholorship portal पोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक तैयारी करने हेतु इस कार्यालय के सन्दर्भित समसंख्यक पत्र द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

वर्ष 2016–17 के पात्र बालिकाओं के प्रस्तावों की संख्यात्मक सूचना अधीनस्थ विद्यालयों से एकत्र कर तत्काल निम्नांकित प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध करवाए।

Performa for NSIGSE 2016-17

Total no. of benificary	No. of benificary having Bank account	No. of benificary having aadhaar(UID)	No. of benificary Enrolled for aadhaar (EID)	No. of Bank account seeded with aadhaar

भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपर्युक्त योजनाओं के समस्त लाभार्थियों की बैंक खातों की आधार सीडिंग करवाकर उक्त योजना के आवेदन National scholorship portal पोर्टल पर सबमिट करने के लिए राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्रानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। बालिका प्रोत्साहन (NSIGSE) में लाभार्थियो की छात्रवृत्ति का उनके आधार सीडेड बैंक अकाउण्ट में प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण(डी.बी.टी) किया जाएगा। अतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार लाभर्थियों के बैंक खाते खुलवाने, आधार नम्बर जारी करवाने एवं बैंक खातो की आधार सीडिंग करवाने की कार्यवाही Campaign mode में करवाई जानी है। इस हेतु साप्ताहिक सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा रिर्पोट निम्नांकित प्रारूप में प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को secondarydd@gmail.com कार्यालय सायं पांच बजे से पूर्व आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाए।

योजना का नाम	पात्र विद्यार्थियों की संख्या	पात्र विद्यार्थियों की संख्या जिनके बैंक खाते हैं	पात्र विद्यार्थियों की संख्या जिनके आधार नम्बर है	पात्र विद्यार्थियों की संख्या जिनके आधार नम्बर नहीं है	पात्र विद्यार्थियों की संख्या जिनके आधार नम्बर एवं बैंक खाते दोनों है।	आधार सीडेड बैंक खातों की संख्या

ध्यान रहे निर्धारित समय तक सूचना नहीं पहुँचने पर आपकी सूचना समझी जाएगी तथा उससे राज्य सरकार को अवगत करवाया जाएगा। यह भी ध्यान रहे कि यदि पात्र विद्यार्थी बैंक खातों की आधार सीडिंग के आभाव में इस योजना के लाभ से वंचित रहते है। तो संबंधित संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेवारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं भाषा , राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ से सूचना एकत्रित कर पत्र दिए निर्देशानुसार इस कार्यालय को निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करवाने का श्रम करें।
4. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयो के प्रभावी प्रबोधन हेतु
5. उपनिदेशक (योजना) कार्यालय हाजा।
6. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक राउमावि/रामावि को उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. प्रभारी, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त संस्था प्रधानों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर